फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

प्रार्थीगण अप्रार्थीगण

दिनेश बनाम **कालू सिंह** वगैरह

प्रकरण : राजस्व प्रार्थना पत्र मुकदमा नं. 77/2022

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
14/07/2022	यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वकील श्री बस्तीराम ढाका ने पेश किया। बहस वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, शपथ पत्र एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे मामला पृथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। ग्राम डेह के खेत ख.न. 921/2 रकबा 0.4452 हैक्टेयर की भूमि प्रार्थी के खेत ख.न. 2220/921 0.1619 हैक्टेयर की भूमि के पश्चिम में आई हुई है। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की भूमि के कुछ भाग पर जबरन कब्जा कर रखा है तथा अपने खेत के रकबे मे मिलाकर निर्माण करने व किसी अन्य को बैचान करने पर आमादा हैं। यदि अप्रार्थी अपने खेत की भूमि के साथ अतिक्रमित प्रार्थी की भूमि को बैचान करने मे सफल हो जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। यदि अप्रार्थी को पाबन्द नही किया गया तो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद को ओचित्य ही शेष नहीं रहेगा। अतः अप्रार्थी को जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पर विश्वास व मौका रिपोर्ट के आधार पर उभय पक्षकारान् को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाता है कि ग्राम डेह के ख.न. 921/2 रकबा 0.4452 हैक्टेयर भूमि का बैचान, हस्तान्तरण रहन दान आगामी आदेश तक नहीं करे तथा राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा मौके पर निमार्ण नहीं करे। अप्रार्थी सं. 2 व 3 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा बैचान हस्तांतरण दान रहन आदि तस्दीक नहीं करे । अप्रार्थीगण को जबाब हेतु जरिये नोटिस तलब किया जावे। वकील प्रार्थी आदेश 39 नियम 3 सीपीसी के तहत पक्षकारों की तलबी हेतु सम्मन मय रजिस्ट्रड डाक खर्च के साथ पेश करें। पत्रावली दिनांक 29/8/22 को पेश हो। सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल	
29/8/22	पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी [illegible] अप्रार्थी सं. [illegible] की ओर [illegible] पेश हुआ। [illegible] नहीं। फिलहाल वास्ते आदेश दि. 6/9/22 को पेश हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2022.11.02 10:28:34 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर अहका[म] हुक्म [व] में जारी
06/09/22	पत्रावली प्रस्तुत। वकुलाय उप। प्रार्थना पत्र प्रार्थी का खारिज किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली निर्णय नकल से कम घेर बाद आप्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर रहे। [signature]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2022.11.02 10:28:34 IST
Reason: SelfAttested